मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

बुधवार, दिनांक 20 जून, 1990 (ज्येष्ठ 30, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. शपथ/प्रतिज्ञान

उप चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 53-दमोह से निर्वाचित श्री जयन्त मलैया तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 132-भाटापारा से निर्वाचित श्री नरेन्द्र शर्मा शपथ लेंगे/प्रतिज्ञान करेंगे, सदस्यों की नामावली में हस्ताक्षर करेंगे और सभा में अपना स्थान ग्रहण करेंगे.

2. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन सम्बन्धी उल्लेखः—

(1) श्री सुकुमार पगारे, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा.

(2) श्री के. सदानन्द हेगड़े, लोक सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष.

3. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

4. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

श्री बाबूलाल गौर, संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित अध्यादेशों को पटल पर रखेंगेः—

(1) मध्यप्रदेश पंचायत (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (क्रमांक 1 सन् 1990).

(2) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अध्यादेश, 1990 (क्रमांक 2 सन् 1990).

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्य मंत्री रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन एक्ट, 1950 की धारा 33 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के लेखे वर्ष 1987-88 तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री सुन्दरलाल पटवा, मुख्यमंत्री जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) और 40(7) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 एवं 1986-87 पटल पर रखेंगे.

(3) श्री बलीराम कश्यप, मंत्री, आदिम जाति, हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेव्हलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1983-84 पटल पर रखेंगे.

(4) श्री कैलाश चावला, मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1985-86 पटल पर रखेंगे.

(5) श्री ननकीराम कंवर, मंत्री कृषि : जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1963 (क्रमांक 12 सन् 1963) की धारा 40 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर की आडिट रिपोर्ट वर्ष 1979-80, वर्ष 1980-81 का (एक भाग व दो भाग) एवं वर्ष 1981-82 का (एक भाग व दो भाग) पटल पर रखेंगे.

6. नियम 267-क के अधीन मार्च, 1990 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

7. राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदत्त विधेयकों की सूचना

8. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, ठाकुर दरबार सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम मनकी के पास जीप दुर्घटना में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री शिवराज सिंह, सदस्य, बुधनी विधान सभा क्षेत्र के कृषकों को हल डांडी की लकड़ी न मिलने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 240-भोपाल उत्तर से निर्वाचित सदस्य श्री आरिफ अकील को विधान सभा की दिनांक 15 जुलाई, 1990 तक की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा.

10. सभापति तालिका की घोषणा

11. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री लीलाराम भोजवानी, राज्यमंत्री, श्रम, मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 11 सन् 1990) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री बाबूलाल जैन, मंत्री, वाणिज्यिक कर, भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 12 सन् 1990) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरः स्थापित करेंगे.

(3) श्री लीलाराम भोजवानी, राज्यमंत्री श्रम, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 11 सन् 1990) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए.

भोपाल :

दिनांक 19 जून, 1990.

विश्वेन्द्र मेहता

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.